''आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 एवं 2018 के विशेष संदर्भ में महिलाओं से संबंधित अपराध का एक विधिक अवलोकन''

शोध सारांश

पीएच०डी० उपाधि (विधि) हेतु प्रस्तुत

सत्र-2021-22

शोध पर्यवेक्षक

डॉ0 अनिरूद्ध राम
एसोसिएट प्रोफेसर

शोध छात्र

अभिषेक कुमार सिंह
पंजीयन सं0–IIMTU/2170227

विधि विभाग
आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय
गंगा नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश

आपराधिक कानून संषोधन अधिनियम 2013 एवं 2018 के विषेश संदर्भ में महिलाओं से संबंधित अपराध का एक विधिक अवलोकन

प्रस्तावनाः—

मानव सृष्टि का प्रारम्भ बिना महिलाओं के असंभव दुलर्भ था मानव सभ्यता एवं संस्कृति की प्रगतिरूपी गाड़ी के दो पहियों में से एक पहिया महिलाओं का ही है जिनके बिना मानव सभ्यता एवं संस्कृति असंभव थी। इसके बावजूद प्रारम्भिक काल से ही पूरे विश्व में महिलाओं को पुरूषों की तुलना में न तो सामाजिक स्तर पर और न ही आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर बराबरी का सम्मान और मर्यादा मिल पाया है। महिलाओं को प्रारम्भ से ही असहाय एवं कमजोर समझा गया तथा महिलाओं की स्थिति प्रारम्भिक काल से ही काफी दुःखद और असन्तोषप्रद रही है आदिकाल में भी इन्हें जुए में दाँव पर लगाया गया तथा क्रय विक्रय की विषयवस्तु समझा जाता था। बहुत सारे ऐसे दृष्टान्त मिले है जब प्राचीनकाल में इन्हें कर्ज अदायगी के रूप मे कई देशों में बधंक अथवा महजनों के हाथ गिरवी तक रखा जाता था जिसकी अवधि कर्ज के रूप में लिये गये राशि के अनुपात में कम या अधिक महीनों का या वर्षों का हुआ करता था।

प्राचीन रोमन कानून में पति को अपनी पत्नी की गलती पर उसे मारने का अधिकार दे रखा था। प्राचीन यूनान में नारिओं के साथ दुर्व्यवहार होता था तथा उन्हें ब्रिकी की वस्तु समझकर एक दूसरे के हाथ बेंच डाला जाता था। प्लेटो ने महिलाओं को नौकरों का दर्जा दिया तथा प्राचीन यूनान में महिलाओं को अपने काम वासना तृप्ति का साधन बनाया और वहाँ के धनी व्यक्ति दर्जनों महिलाओं को पत्नी के रूप मे रखा करते थे। प्राचीन इटली मे यह कहावत थी कि जैसे घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसे चाबुक लगाया जाता था, वैसे ही एक महिला, अच्छी हो या बुरी प्रताड़ना की भागीदार होती है।

प्राचीन अरब में लड़की का जन्म अपसगुन माना जाता था। यहां तक की शंखस्मृति में कहा गया है कि ''लालनीया सदा भार्या, ताडनीया तथैव च'' अर्थात एक महिला को सदा प्यार करना चाहिए किन्तु प्रताड़ना करने का भी अधिकार बनता है।

तुलसीकृत रामायण में भी महिलाओं के संबंध में कहा गया है कि '' ढोल, गवांर, शुद्र, पशु, नारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी''। महाभारत में कृष्ण ने महिलाओ को पाप योनि या सीनवौर्ण कहा है। मनु ने मनुस्मृति में हिदायत दिया है कि एक महिला को कभी भी स्वतंत्र नही छोड़ना चाहिए। शादी के पूर्व मां–बाप के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और पुनः पति की मृत्यु के उपरान्त अपने लड़कों के अधीन रहना चाहिए। भारत वर्ष में भी ऐसे उल्लेख है जिसमें महिलाओं की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी सम्मानजनक रही है वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक होने का प्रमाण मिला है। विद्या, बुद्धि, संस्कृति एवं अन्य कलाओं के उन्नयन एवं विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैदिक काल के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आयी और ममता, करूणा, उदारता, सहिष्णुता, त्याग, और बलिदान ऐसे सहज गुणों से आभूषित हुए भी नारियों की स्थिति काफी कमजोर होती गयी। बुद्ध एवं जैन काल में नारियों को सम्मानपूर्ण बनाया गया किन्तु उन्हें भी पुरूष की तुलना में बराबरी का अधिकार नही होते थे। मुस्लिम काल में नारियों की स्थिति बहुत खराब हुयी तथा वे भोग–विलाश की सामाग्री समझी जाने लगी। मुस्लिम काल के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश शासन काल के समय भी नारियों की स्थिति बहुत सम्मानजनक नहीं रही। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रतिबन्ध, नारियों के शिक्षा में भेदभाव एवं अन्य प्रकार की कुरीतियों के विरूद्ध सामाजिक सुधारकों ने एक आन्दोलन चलाया था धीरे धीरे सती प्रथा, बाल विवाह, एवं अन्य कुरीति दूर करने पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा, वृद्ध विवाह

आदि कुरीति उन्मूलन के लिए प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रम्ह समाज और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अन्य सामाजिक सुधारकों ने आन्दोलन चलाया जिससे पुनः स्त्रियों की दशा में काफी सुधार परिलक्षित हुआ।

प्राचीन काल से ही महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ा है महिलाओं के विरूद्ध अपराध की कोई सीमा नही होती। महिलाओं के विरूद्ध अपराध एक वैश्विक घटना है। समय के साथ–साथ महिलाओं की स्थिति में निश्चित रूप से बदलाव आया है लेकिन फिर भी महिला विशिष्ट अपराधों में यौन अपराध चरम पर है। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये गये किन्तु फिर भी महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में कमी देखने को प्राप्त नही हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से निपटने के लिए भारत में जो कानून बंधित है उसमें समय के साथ–साथ बदलाव की आवश्यकता होती है।

दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को हुए भीषण सामूहिक बालात्कार (निर्भया काण्ड) के मामले में पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। यह मामला इतना गम्भीर प्रकृति का साथ की पूरे देश में बालात्कार में सम्मिलित अपराधियों के साथ साथ अन्य बालात्कार के मामलों के लिए काफी गुस्सा तथा विरोध प्रर्दशन किया गया तथा समाज न्याय दिलाने के लिए कानून की ओर मुड़ गया। इस घटना को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रर्याप्त विरोध किया गया और लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई द्वारा निन्दा की गयी तथा भारत सरकार से कट्टरपंथी सुधारों को पूरा करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया।

16 दिसम्बर 2012 की उस घटना के बाद केंन्द्र सरकार ने यौन उत्पीड़न के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मौजूदा आपराधिक कानून मे आवश्क संशोधन

का सूझाव देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति जे0एस0 वर्मा की अध्यक्षता में तथा दो अन्य सदस्य जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति लीला सेठ और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के साथ एक न्यायिक समिति का गठन किया गया। समिति ने 23 जनवरी 2013 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बालात्कार, यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल यौन शोषण, पीड़ितों की चिकित्सा जाँच, पुलिस, चुनावी और शैक्षिक सुधारों से सम्बन्धित कानूनो पर सुधार करने की सिफारिश की गयी।

न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने विभिन्न विधायी संशोधनों का सुझाव दिया और उन परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए संसद में एक अध्यादेश लाने की सुझाव दिया इसके बाद संसद ने एक अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 पारित किया। इस संशोधन द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से निपटने के लिए व्यापक संशोधन किए गए।

जनवरी 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ हुए अपहरण, सामूहिक बालात्कार तथा हत्या के मामले के बाद पूरे देश में इसका विरोध प्रर्दशन हुआ तथा आरोपियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की गयी। इसके बाद संसद द्वारा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 पारित किया गया जिसमें बालात्कार से पीड़ित को तीन आयु वर्ग में बाट दिया गया जिसमें बारह वर्ष कम आयु की स्त्री के साथ बालात्कार, सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बालात्कार, तथा बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बालात्कार।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 15(1) मे राज्य के लिए यह निर्देश दिया गया है कि वे नागारिकों के साथ समान व्यवहार करें तथा लिंग मात्र के आधार पर विभेद न करें।

अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियुक्तियों के सम्बन्ध में समानता के आधार पर बाध्यता प्रदर्शित की गयी है। दैहिक सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रा जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है का अर्थ मात्र भौतिक जीवन सुरक्षा या जीने के अधिकार तक सीमित नही है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका **गांधी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया**[1] में स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 21 में वर्णित अधिकार का विस्तार गरिमामय एवं शान्तिपूर्ण जीवन यापन तक विस्तारित है। पुनः **फ्रान्सिस कोराली बनाम केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली**[2] में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जीवन का अधिकार मात्र दैहिक उपस्थिति एवं अंगों की सुरक्षा तक सीमित न होकर कुछ और भी है जो कि मानवीय गरिमा के रूप में मान्य है। **विशाका बनाम राजस्थान राज्य**[3] में उच्चतम न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। कामकाजी महिलाओं के विरूद्ध यौन अपराध के विषय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव करना, यौन सम्बन्ध स्थापना हेतु विनय करना, यौन क्रिया सम्बन्धी छेड़छाड़ या क्रिया कलाप करना तथा अश्लील चित्र या साहित्य का प्रदर्शन करना आदि आता है।

यौन सम्बन्धों पर वैधानिक बंधनों के बावजूद यौन अपराधों में कमी लाना सम्भव नही हो सका है। कामवासना मानव की एक नैसार्गिक एवं जैविक प्रवृत्ति होने के कारण यह पुरूष या स्त्री, अमीर या गरीब, शिक्षित या अशिक्षित सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित करती है तथापि इस वासना की तीव्रता व्यक्ति विशेष के प्रकृति के साथ भिन्न आवश्य होती है। इस प्रकार महिलाओं के विरूद्ध अपराध समय समय पर अन्य रूप लेकर बदलाव कर रहा है। समय के साथ बदलाव के साथ महिलाओं के विरूद्ध होने

---

[1] ए0आई0आर0 1998 सु0को0 597
[2] ए0आई0आर0 1981 सु0को0 746
[3] ए0आई0आर0 1997 सु0को0 3043

वाली यौन अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाये गये कदम महिलाओं को संरक्षित करने में कम शक्तिशाली दिखयी प्रतीत होते है ।

आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 एवं 2018 को मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठनों से आलोचना मिली जिसका कारण वर्मा समिति के कुछ सिफारिशों को शामिल करने में अनदेखा किया गया। इन सिफारिशों में वैवाहिक बालात्कार को अपराध के रूप में मान्यता देना और सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम में संशोधन शामिल है।

इस पृष्ठ भूमि के आलोक में शोधकर्त्ता उक्त अधिनियमों द्वारा लाये गये विधायी परिवर्तनों का गहन अध्ययन करने का प्रयास करेगा तथा साथ ही साथ प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने और विशेष इस कानूनी प्रभावकारिता और सामान्य रूप से महिलाओं की बेहतरी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाया जा़ना चाहिए इस पर सुझाव देने का प्रयास करेगा।

1.2 शोध समस्या के अनुसंधान का उद्धेश्यः—

इस शोध का मूल उद्देश्य महिलाओं के सुरक्षा प्रदान करने में आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 एवं 2018 द्वारा लाये गये विधायी परिवर्तनों के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। भारतीय समाज में समय के साथ महिलाओं के बदलती स्थिति का अध्ययन, वर्तमान मे भारत में महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाला सबसे प्रमुख प्रकार के अपराधों पर अध्ययन करना तथा उन सब कारणों के उदय होने के लिए जिम्मेदार कारक क्या है आदि का अध्ययन करना हैं। साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के साथ भारत के संविधान के तहत महिलाओं को उपलब्ध सुरक्षा का विस्तृत

अध्ययन तथा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 एवं 2018 के अधिनियम की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने और मौजूदा आपराधिक कानूनों में लाये गये परिवर्तनों का विस्तृत रूप में विश्लेषण करना है। महिलाओं के विरूद्ध किये गये यौन अपराधों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना है। साथ ही महिलाओं के लाभ के लिए सरकार का दृष्टिकोण क्या है इसका अध्ययन करना है।

1.3 शोध समस्या का महत्वः–

वर्तमान शोध प्रबन्ध आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 एवं 2018 के विशेष सन्दर्भ में महिलाओं से संबंधित अपराध एक विधिक अवलोकन वर्तमान परिपेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है और इसके अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रयासों, भारतीय संसद तथा राज्य विधान मण्डल, विधि आयोग, महिला आयोग, भारतीय न्यायपालिका का समन्वयवादी दृष्टिकोण का संक्षिप्त अध्ययन करने के साथ प्रमुख रूप से न्यायपालिका द्वारा तथा अन्य संस्थाओं द्वारा निभायी गयी भूमिका और दिये गये महत्वपूर्ण योगदान का व्यवस्थित रूप से गहन अध्ययन कर मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया हैं। इस प्रयास में प्रस्तुतकर्ता द्वारा अध्ययन हेतु सैद्धान्तिक (डाक्ट्रिनल) एवं विश्लेषणात्मक (एनेलेटिकल) शोध प्रणाली को अपनाया गया है। जिसके अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के विषय में 2013 एवं 2018 में किये गये दाण्डिक विधि में व्यापक संशोधन का अध्ययन करके, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के उन महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं दिये गये निर्देशों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

1.4 साहित्य का पुर्नविलोकनः–

महिलाओं के विरूद्ध अपराध का विषय न्यायधीशों, न्यायविदों, अधिवक्ताओं, विधि मर्मज्ञों, शोधार्थियों, प्रिन्ट एवं मीडिया, गैर सरकारी संस्थाओं, मानवाधिकारों स्त्री सशक्तिकरण एवं लैंगिक न्याय, अधिवासियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए समर्पित संगठनों एवं प्रभुद्ध नागारिकों को हमेशा आकृष्ट करता रहा है। अतः यह स्वभाविक है कि इस विषय पर कई ग्रन्थ एवं शोध लेख प्रकाशित हुए है। जहाँ महिलाओं के विरूद्ध अपराध विषय अधिकांश प्रकाशित ग्रन्थ या तो टीकाओं या पाठ्य पुस्तकों के रूप में है वही शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख अपने सीमित विषय वस्तु के कारण विषय के व्यापकता को देखते हुए बहुमूल्य होते हुए भी सीमित प्रसंगिकता के है। विगत कुछ वर्षो में शोध ग्रन्थ लिखे गये परन्तु वे सभी लगभग अंग्रेजी भाषा में है। विधि का निरन्तर अध्ययन, उसका आलोचनात्मक परीक्षण एवं विश्लेषण तथा समय–समय पर उसकी समीक्षा विधि सुधार का प्रथम सोपान है इसलिए महिलाओं के विरूद्ध होने वालें अपराधों का निरन्तर समीक्षा , इसकी उपयोगिता, प्रभावकारिता एवं प्रासंगिकता के लिए परम आवश्यक है। प्रस्तुत शोध ग्रन्थ इस उद्देश्य की पूर्ति करने की दिशा में एक विनम्र प्रयास है। इसका आशय किसी आश्चर्यजनक या रोमांचकारी निष्कर्ष या संस्तुतियों को प्रस्तुत करना नही है अपितु वर्तमान में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर कानून एवं इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं को न्यायिक निर्णयों एवं सुसंगत संवैधानिक प्रावधानों की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयास मात्र है, जिसे शोध प्रबन्ध की सामान्य परिकल्पानाओं के अन्तर्गत इमानदारी एवं निष्ठा के साथ किया गया है।

1.5 अध्ययन का विषय क्षेत्रः—

इस अध्ययन का क्षेत्र भारत में महिलाओं के स्थिति एवं समय के साथ इसमें कैसे बदलाव आया है इसका अध्ययन करने तक विस्तृत है। इसके अलावा यह हमारे देश में महिलाओं के विरूद्ध किये गये यौन अपराधों पर निपटने के लिए उपलब्ध मौजूदा कानूनों के संक्षिप्त विश्लेषण को भी देखना है तथा लैंगिक न्याय स्थापित करने के लिए किये गये विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा प्रयासों तक सीमित है।

1.6 परिकल्पनायेः—

यह शोध प्रबन्ध निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर आधारित है—

1. आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 एवं 2018 के प्रवर्तन में आने के बाद भी महिलाओं के विरूद्ध अपराध कारित होने में कमी नही आयी है।
2. आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम वर्तमान स्थिति पर कितनी कारगार है।
3. महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों का रोकथाम में संशोधन अधिनियम कितना कारगर है।
4. महिलाओं के विरूद्ध यौन अपराध घटित होने पर सामाजिक दृष्टिकोण क्या है।
5. महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराध पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर कितना सफल प्रयास किया गया है।
6. सरकारी संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है।

1.7 शोध अध्ययन की पद्धतिः–

इस शोध प्रबन्ध में लैंगिक न्याय और महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का आलोचनात्मक विश्लेषण शामिल है इसलिए अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली सैद्धान्तिक और गैर अनुभवजन्य प्रकृति की है। अध्ययन सभी अवधारणाओं का संरचनात्मक तरीकें से विश्लेषण करने के साथ आगे बढ़ता है जिसमें पहले कानून का आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषण किया जाना और तत्पश्चात् न्यायपालिका के दृष्टिकोण पर चर्चा की गयी है। उसके बाद विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के आलोक में उक्त कानूनों के प्रभावशीलता तथा कमियों के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर इस विषय पर सामाजिक तथा कानूनी सुझाव दिया गया है।

1.8 शोध प्रबंध की रूप रेखाः–

प्रस्तुत शोध प्रबंध आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 एवं 2018 के विशेष संदर्भ में महिलाओं से संबंधित अपराध का एक विधिक अवलोकन हैं। इस शोध अधिनियम निम्न अध्याय में विभाजित है–

प्रथम अध्याय–भारत में महिलाओं की विभिन्न काल खण्डों में स्थिति

द्वितीय अध्याय–भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराध

तृतीय अध्याय–लैंगिक न्याय की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

चतुर्थ अध्याय–भारतीय विधि आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा भारतीय संविधान के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा तथा कानून की भूमिका

पंचम अध्याय–आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 एवं 2018

षष्ठ्म अध्याय–बालात्कार के अपराध पर सामाजिक एवं न्यायपालिका की भूमिका

सप्तम् अध्याय–निष्कर्ष एवं सुझाव

परिशिष्टः–

1. **संदर्भित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, घोषणाओं, सम्मेलनों एवं अधिनियमों की सूची–**

- महिलाओं की स्थिति पर बीजिंग आयोग
- महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय 1979
- महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर घोषणा 1967
- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा 1993
- नागारिक और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय 1966
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्री अधिसमय 1966
- महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर वैकल्पिक अधिसमय 1999
- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की रोकथाम, सजा और उन्मूलन पर अंतर–अमेरिकी सम्मेलन 1994
- मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा।
- महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति

- आस्ट्रेलिया आपराधिक कानून समेकन अधिनियम 1935
- कनाडा की आपराधिक संहिता संशोधित कानून 1985
- दक्षिण अफ्रीका पारिवारिक हिंसा निवारण अधिनियम 1993
- ब्रिटेन यौन अपराध अधिनियम 2003

2. **भारतीय संदर्भित अधिनियम की सूचीः–**

- सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम 1958
- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872
- भारत का संविधान 1950
- अपराधिक कानन्‌ (संशोधन) अधिनियम 1986
- अपराधिक कानन्‌ (संशोधन) अधिनियम 2013
- अपराधिक कानन्‌ (संशोधन) अधिनियम 2018
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
- हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
- हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956
- महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम 1986
- भारतीय दण्ड संहिता 1860
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015

- बहुमत अधिनियम 1875
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990
- पुलिस अधिनियम 1861
- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकि (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
- गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1970
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
- पंजाब आबकारी अधिनियम 1914
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
- विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2016
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013
- सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013

3. **संदर्भित ग्रन्थों की सूचीः–**

- ए0एल0बाशम, द वंडर दैड वाज इडिया (पैन मैकमिलन इडिया 2005)
- ए0के0 कुमारस्वामी, हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म (न्यूयार्क दार्शनिक पुस्तकालय 1943)
- ए0एस0 अल्टेकर, प्रागैतिहारिक काल से वर्तमान समय तक हिन्दू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति (मोतीलाल बनारसीदास 2016)

- आहूजा राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था (रावत प्रकाशन 1973)
- बी0एम0 गांधी, फैमिली लॉ वाल्यूम 1 (ईस्टर्न बुक कम्पनी)
- वीरेन्द्र पाल सिंह सहगल, भारत में मानवाधिकार (दीप और दीप प्रकाशन दिल्ली)
- इंदिरा जयसिंह, घरेलू हिंसा का कानून (लेक्सिस नेक्सिस प्रकाशन)
- कुमार असकंद पाण्डेय, भारतीय दण्ड संहिता (ईस्टर्न बुक कम्पनी)
- ललिता धर परिहार, महिला और कानून (ईस्टर्न बुक कम्पनी)
- एम0 हिर्शफेल्ड, यौन विसंगतियाँ और विकृतियाँ : शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास, निदान और उपचार (इनसाइक्लोपीडिक प्रेस लंदन)
- मधुकर एम0 पाटकर, नारद बृहस्पति और कात्यान न्यायिक प्रक्रिया में एक तुलनात्मक अध्ययन (मुंशीलाल मनोहर लाल प्रकाशन दिल्ली)
- डा0 मधु पाण्डेय महिलायें एवं अपराध विधि (सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी)
- बसन्ती लाल बावेल, महिलाएं एवं आपराधिक विधि (सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन)
- अंजनी कान्त, महिला एवं बाल कानून (सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन)
- डा0 ना0वि0 पराजपे, अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन (सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन)
- डा0 जय नारायण पाण्डेय, भारत का संविधान (सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी)
- आर0 के0 सिन्हा, मुस्लिम विधि (सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी)

- यू0पी0डी0 केशरी, हिन्दू विधि (सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी)
- पारस दीवान, आधुनिक हिन्दू विधि (सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी)
- रतनलाल धीरजलाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता (लेक्सिस नेक्सिस प्रकाशन)
- रतनलाल धीरजलाल, भारतीय दण्ड संहिता (लेक्सिस नेक्सिस प्रकाशन)

4. **संदर्भित समाचार पत्र एवं पत्रिका की सूचीः–**

- दैनिक जागरण
- हिन्दुस्तान
- अमर उजाला
- इण्डिया टुडे
- द टाइम्स आफ इण्डिया
- द हिन्दू
- नवभारत टाइम्स
- पाइनियर
- कानिकल
- प्रतियोगिता दर्पण
- जजमेंट लॉ टुडे
- पॉलटिकल एण्ड लॉ टाइम्स।

5. **संदर्भित जर्नलों की सूचीः–**

- आल इण्डिया रिपोर्ट

- इलाहाबाद लॉ जर्नल
- उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका
- क्रिमिनल लॉ जर्नल
- पटना लॉ जर्नल
- लॉ टाइम्स
- लॉ रिपोर्टस इण्डिया अपील (प्रिवी कौंसिल)
- लॉ रिपोर्टस (किंग्स बेच)
- सुप्रीम कोर्ट केसेस
- सुप्रीम कोर्ट जर्नल
- मद्रास लॉ जर्नल
- जजमेंट एवं लॉ टुडे

6. **संदर्भित वेबसाइटों की सूची:–**

- डब्लू0डब्लू0डब्लू0 डाट गुगल डाट काम
- डब्लू0डब्लू0डब्लू0 डाट जे0 एस0 डाट एन0एस0 डब्लू0 डाट आर्ग डाट इन
- डब्लू0डब्लू0डब्लू0 डाट लीगल सर्विस इण्डिया डाट काम
- डब्लू0डब्लू0डब्लू0 डाट मनुपात्रा डाट काम
- डब्लू0डब्लू0डब्लू0 डाट लाइव लॉ डाट इन